रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 88] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 12, 1973/फाल्गुन 21, 1894

No. 88] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 12, 1973/PHALGUNA 21, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th *March* 1973

S.O. 138(E).— In pursuance of section 12 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the President is pleased to call upon the elected members of the Legislative Assembly of the State of Kerala to elect, in accordance with the provisions of the said Act and the rules and orders made thereunder, three members to fill the seats of the members of the Council of States who are retiring on the 21st April, 1973, on the expiration of their term of office.

[No. F. 13(4)/73-Leg.II.]

S. HARIHARA IYER, Jt. Secy. and
Legislative Counsel.

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मार्च, 1973

का० आ० 138 (अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा 12 के अनुसरण मे राष्ट्रपति अपने प्रसाद मे केरल राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों को राज्य सभा के सदस्यो की पदावधि समाप्त होने पर 21 अप्रैल 1973 को निवृत्त होने वाले तीन सदस्यो के स्थान भरने के लिये उक्त अधिनियम के उपबन्धों और तद्धीन बने नियमो और आदेशों के अनुसरण मे निर्वाचित करने के लिए समाहूत करते हैं ।

[सं० फा० 13(4)/73-विधा० II]

एस० हरिहर अय्यर, संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी ।

PRINTED BY THE MANAGER GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973